न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 86/2021 (GCMS No. 2021/91) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. पप्पू पुत्र बाबू आयु लगभग 48 वर्ष जाति मुसलमान निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ।
2. दिनेश चन्द शर्मा पुत्र कालीचरन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर ।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2021 जिला कलक्ट,धौलपुर अपील संख्या 51/2021 उनवानी पप्पू बनाम सरकार व दिनेश चन्द शर्मा बावत नामान्तरकरण संख्या 504 वाके ग्राम पंचायत मालीपुरा तहसील धौलपुर

1. श्री गोपाल शर्मा, वकील अपीलान्ट
2.राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट सख्या 1
3.श्री इकराम खॉन वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 21.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर ,धौलपुर के आदेश दिनांक 27.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी एवं उसके भाई मुस्ताक ने एक वाद वास्ते विभाजन आराजी खसरा नम्बर 45,46,53 लगाायत 57 वाके ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर के बावत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,धौलपुर में प्रस्तुत किया हुआ है । उपरोक्त वाद के साथ अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेघाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 07.01.2019 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया हुआ है । उक्त आदेश की जानकारी होने के बाद भी विवादित आराजी का विक्रय दिनांक 25.01.2019 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में किया गया । उप खण्ड अधिकारी ,धौलपुर के आदेश दिनांक 07.01.2019 की भली भांति जानकारी होते हुए भी नामान्तरकरण संख्या 504 तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में स्थिति को परिवर्तित कर दिया । जिसकी

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 27.07.2021 को खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री इकराम खॉन एडवोकेट उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

3- दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,धौलपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.01.2019 बावत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु भली भांति जानकारी होते हुए भी आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 504 को तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर भूल की है । विक्रेता शहजाद को उप खण्ड अधिकारी धौलपुर में लम्बित प्रकरण मुस्ताक बनाम शहजाद की भली भाति जानकारी होते हुए भी विवादित कृषि भूमि का विक्रय दिनांक 25.01.2019 को प्रत्यर्थी संख्या 2 दिनेश चन्द शर्मा के हक मे उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 07.01.2019 की खुली अवहेलना व अवमानना करने के उद्देश्य से निष्पादित कर पंजीयन कराया है । उक्त विकय्र पत्र बमुकावले अपीलार्थी शून्य व अप्रभावी दस्तावेज है । उक्त दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 504 तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अकित करके प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भूल की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 27.07.2021 से इस तथ्य पर कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया कि आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 504 उप खण्ड अधिकारी न्यायालय ,धौलपुर द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के उपरान्त तहसीलदार ,धौलपुर को जानकारी रहते हुए तस्दीक किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर कर हर दो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 504 ग्राम मालीपुरा को निरस्त किया जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व रिकार्ड को देख कर ही उक्त आराजी को कय किया गया है। राजस्व रिकार्ड में स्थगन का कोई नोट नहीं था और विक्रेता के पास कोई सम्मन नहीं गया और न ही कोई जानकारी थी। बंटवारे का दावा चल रहा था जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पक्षकार बन गया। नामान्तरकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। हिस्सो की अनुमति विक्रेता से स्थगन पर क्रेता से अपीलान्ट ले सकते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ,जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

6. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी बावत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा 07.01.2019 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 12.02.2019 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 20.01.2019 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में नामान्तरकरण संख्या 504 स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर ने विचाराधीन प्रकरण उनवान मुस्ताक बनाम शहजाद में पारित आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियों से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 12.02.2019 को विवादित आराजी पर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश प्रभावी था। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 504 से विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन किया, जो न्यायालय के मत में न्यायोचित नहीं है। जहां विवादित आराजी पर रिकार्ड व मौके का स्थगन प्रभावी हो वहां नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए थी। उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.07.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 12.02.2019 वाके ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार, धौलपुर को प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी बावत् नियमित वाद के निस्तारण पश्चात् नामान्तरकण के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रखने हेतु आदेश पारित किया हुआ है। उक्त आदेश की शहजाद को भली